न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3149–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 05–07–2014 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा खुजनेर तहसील व जिला राजगढ़, द्वारा प्रकरण कमांक 43/अ–12/2013–14

.....

द्वारकाप्रसाद मालवीय आ0 स्व0 गोपीलाल
निवासी– ग्राम खुजनेर,
तहसील व जिला–राजगढ़ .....आवेदक

विरूद्ध

सिद्धनाथ आ0 शंकरलाल
निवासी– ग्राम खुजनेर,
तहसील व जिला–राजगढ़ .....अनावेदक

.....

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री संदीप महेश्वरी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २६ अगस्त 2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार टप्पा खुजनेर तहसील व जिला–राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–07–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा नं0 1279/2 रकवा 0.518 है0 एवं खसरा नं0 3113 रकवा 1.303 है0 कुल किता 1.821 है0 की भूमि पर आवेदक का स्वत्व है। आवेदक ने प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष

आवेदन पेश किया जो प्रकरण क्रमांक 292/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 10–04–2013 से स्वीकार कर ली गई एवं तहसीलदार को अनावेदक द्वारा जमा की गई सीमांकन शुल्क पर ही विधिवत कार्यवाही करते हुये भूमि का सीमांकन किये जाने के निर्देश दिये। राजस्व निरीक्षक ने प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुये दिनांक 5–7–2014 सीमांकन कर प्रतिवेदन नायब तहसीलदार को प्रेषित किया। उक्त आदेश दिनांक 5–7–2014 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जबकि नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 20–8–2014 के द्वारा विचाराधीन प्रतिवेदन की पुष्टि कर दी है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपर आयुक्त भोपाल संभाग के प्रकरण कमांक 92/अपील/11–12 में पारित आदेश दिनांक 10–4–13 के द्वारा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया था कि प्रतिअपीलार्थी (अनावेदक) द्वारा सीमांकन हेतु विधिवत फीस जमा की गई है अतः तहसीलदार विधिवत सीमांकन की कार्यवाही करें। आवेदक द्वारा अपर आयुक्त न्यायालय में अपील की थी और वह पक्षकार था, परन्तु अपर आयुक्त के आदेश के बाद सीमांकन के समय आवेदक को बिना सूचना दिये सीमांकन की कार्यवाही की गई। आवेदक का नाम द्वारकाप्रसाद है जबकि देवीलाल को सूचना दे गई। राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन दिनांक 18–6–14 को शाम 6 बजे के बाद किया, इस पर ग्रामवासियों द्वारा आपत्ति किये जाने पर सीमांकन दिनांक 19–6–14 को पुनः किया गया। दिनांक 5–7–14 को दिये सीमांकन प्रतिवेदन में देवीलाल का अवैध कब्जा होने का लेख किया तथा दूसरे पृष्ठ पर आवेदक द्वारकाप्रसाद द्वारा अनाधिकृत कब्जे में पाई गई भूमि पर तारफैंसिंग कर सोयाबीन की फसल बोकर कब्जा किये जाने का लेख किया किया है। यह भी तर्क दिया कि सीमांकन में सम्पूर्ण रकबे पर आवेदक का कब्ज दर्शाया है जो त्रुटिपूर्ण है। तर्क में यह भी कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने फील्ड बुक भी नहीं बनाई है। आवेदक को बिना

सूचना दिये राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन एवं दिनांक 20–8–2014 को नायब तहसीलदार ने भी आवेदक को बिना सुनवाई का अवसर दिये पुष्टि कर दी है, जिसके कारण सीमांकन की पूरी कार्यवाही दूषित है। अतः राजस्व निरीक्षक के सीमांकन प्रतिवेदन एवं नायब तहसीलदार सीमांकन संबंधी आदेश आदेश निरस्त कर पुनः अपर आयुक्त के आदेश के पालन में सीमांकन के आदेश दिये जायें।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि उनका विवाद देवीलाल से है द्वारकाप्रसाद से नहीं है तथा आवेदक द्वारकाप्रसाद भूमिस्वामी नहीं है और इस प्रकरण में पक्षकार कैसे बने इसका कोई कारण नहीं बताया है। 2006 से सुन्दरबाई का 2 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा था। बाद में सुन्दरबाई की मृत्यु के पश्चात उसके पति कन्हैयालाल ने कब्जा हटा लिया था। अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक पक्षकार नहीं था यदि वह हितबद्ध था तब उसे पक्षकार बनने की कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष करनी चाहिए थी। अपर आयुक्त न्यायालय में किस प्रकार द्वारिकाप्रसाद का नाम प्रकरण में जुड गया यह पता नहीं। यदि आवेदक उक्त सीमांकन से व्यथित है तो वह भी अपनी भूमि का सीमांकन कराने के लिए स्वतंत्र है।

5/ प्रतिउत्तर में आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि सीमांकन की कार्यवाही अपर आयुक्त के आदेश के पालन में की गई थी जहां आवेदक पक्षकार था। आवेदक सर्वे कमांक 3113 का भूमिस्वामी है इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा भी सीमांकन हेतु आवेदन दिनांक 20–6–14 को दिया तथा फीस भी जमा की थी, उक्त सीमांकन आवेदन अभी लंबित है।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख अवलोकन किया। अनावेदक सिद्धनाथ ने अपर आयुक्त भोपाल संभाग के प्रकरण कमांक 92/अपील/11–12 में पारित प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 10–4–13 के पश्चात नायब तहसीलदार खुजनेर जिला राजगढ़ के समक्ष दिनांक 20–5–13 को सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। अपर

आयुक्त के प्रत्यावर्तन आदेश में आवेदक द्वारकाप्रसाद पक्षकार था, परन्तु राजस्व निरीक्षक ने द्वारकाप्रसाद के स्थान पर देवीलाल पिता गोपीलाल को सूचना जारी की गई। दिनांक 19–6–2014 को राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन की कार्यवाही की, जिसमें आवेदक उपस्थित नहीं था। उक्त सीमांकन की पुष्टि नायब तहसीलदार ने दिनांक 20–8–14 द्वारा की गई है, परन्तु नायब तहसीलदार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अपर आयुक्त के प्रत्यावर्तन आदेश में अपीलार्थी द्वारकाप्रसाद को सूचना जारी की गई अथवा नहीं। अपर आयुक्त के आदेश के पालन में ही सीमांकन की कार्यवाही संपादित की जा रही थी उक्त स्थिति में नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक को सीमांकन की सूचना देना आवश्यक था। आवेदक द्वारा बताया गया कि उसने भी सीमांकन हेतु आवेदन दिया है परन्तु उसका सीमांकन नहीं किया गया।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक खुजनेर का प्रतिवेदन दिनांक 5–7–2015 एवं नायब तहसीलदार द्वारा की सीमांकन की पुष्टि का आदेश दिनांक 20–8–2015 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण नायब तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 10–4–2013 अनुसार पक्षकारों को विधिवत सूचना देने के उपरांत सीमांकन की कार्यवाही संपादित की जाये।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर